भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न स. 400 का उत्तर

राजस्थान में रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/सौंदर्यीकरण

400. श्रीमती संजना जाटव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उन्नयन/सौंदर्यीकरण किए गए अथवा उन्नयन/सौंदर्यीकरण किए जा रहे रेलवे स्टेशनों के नाम और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे स्टेशनों के उन्नयन/सौंदर्यीकरण के लिए अब तक आबंटित और खर्च की गई निधियों का राज्य-वार/मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक स्टेशन पर मंडल-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है और अब तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान के स्टेशनों पर लंबित कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाएंगे?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

राजस्थान में रेलवे स्टेशनों के उन्नयन/सौंदर्यीकरण के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्रीमती संजना जाटव के अतारांकित प्रश्न सं. 400 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। बहरहाल, स्टेशनों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्य को स्वीकृति देने और निष्पादित करते समय निम्न कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लैटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लैटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की

व्यवस्था आदि शामिल हैं और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के तहत 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिसमें से 85 स्टेशन राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान राज्य में चिन्हित किए गए स्टेशनों की सूची निम्नानुसार है:-

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशन
राजस्थान	85	आबूरोड, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, असलपुर जोबनेर, बालोतरा, बांदीकुई, बारन, बाड़मेर, बयाना, ब्यावर, भरतपुर, भवानी मंडी, भीलवाड़ा, बिजयनगर, बीकानेर, बूंदी, चंदेरिया, छबड़ा गुगोर, चित्तौड़गढ़ जं., चूरू, डकनिया तलाव, दौसा, डीग, डेगाना, देशनोक, धौलपुर, डीडवाना, डूंगरपुर, फालना, फतेहनगर, फतेहपुर शेखावटी, गांधीनगर जयपुर, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोटन, गोविंदगढ़, हनुमानगढ़, हिंडौन सिटी, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, जवाई बांध, झालावाड़ सिटी, झुंझुनू, जोधपुर, कपासन, खैरथल, खेरली, कोटा, लालगढ़, मंडलगढ़, मंडावर महवा रोड, मारवाड़ भीनमाल, मारवाड़ जंक्शन, मावली जंक्शन, मेड़ता रोड, नागौर, नरैना, नीम का थाना, नोखा, पाली मारवाड़, फलौदी, फुलेरा, पिंडवाड़ा, राजगढ़, रामदेवरा, रामगंज मंडी, राणा प्रतापनगर, रानी, रतनगढ़, रेन, रींगस, सादुलपुर, सांगानेर, सवाई माधोपुर, श्री महावीरजी, सीकर, सोजत रोड, सोमेसर, श्री गंगानगर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, उदयपुर सिटी, रायसिंह नगर

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए उपगत व्यय का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। राजस्थान राज्य पांच जोनल रेलवे अर्थात उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा कवर किया जाता है। इन क्षेत्रों के लिए

वित्तीय वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के लिए आबंटन और उपगत व्यय क्रमशः 6952 करोड़ रुपए और 2838 करोड़ रुपए है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अतः, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

*****